पत्रांकः–वि0 प्रा0 (।।) व^{2}–06 / 2012 / 2114

बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

17 SEP 2012

प्रेषक,

श्री अरूण कुमार सिंह,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सभी विभाग, बिहार, सरकार।

5069(P/I) 18/9/12

पटना, दिनांकः– 13-9-2012

विषयः–Computer Science & Engineering/Computer Application/Information Technology शाखा से उत्तीर्ण छात्रों हेतु विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के संकल्प संख्या–974 दिनांक–19.04.12 में निहित प्रावधानों को नियुक्ति में लागू किये जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या–974 दिनांक–19.04.12 के कंडिका–4 में मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन से राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि विभिन्न विभागों / उपकमों / निकायों में कम्प्यूटर से संबंधित कौशल एवं योग्यता के आधार पर रूपये 4200 / – मात्र के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड पी0बी0–2 में या उससे निम्न वेतनमान या समरूप मानदेय पर सहायक प्रोग्रामर, प्रोग्रामिंग असिस्टेन्ट, टेक्नीकल असिस्टेन्ट, आई0टी0 असिस्टेन्ट, जुनियर नेटवर्क / सिस्टम इंजिनियर, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर इत्यादि पदनामों से सृजित या समतुल्य पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद द्वारा Computer Science & Engineering/Computer Application/Information Technology शाखा में प्रदत्त तीन वर्षीय डिप्लोमा को भी वांछित शैक्षणिक अर्हता के रूप में रखा जाय।

उक्त संकल्प की प्रति विभागीय पत्रांक–1742 दिनांक–21.06.2012 द्वारा सभी विभागों को उपलब्ध करा दिया गया है।

परन्तु, उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभिन्न विभागों यथा–स्वास्थ्य विभाग, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, जिला कृषि कार्यालय, सुपौल तथा बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर द्वारा दिये गये विज्ञापन में उक्त संकल्प के अनुरूप आवश्यक शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया हैं जो कि नियमानुकूल नहीं है एवं मंत्रिपरिषद् के निर्णय के प्रतिकूल है। यहॉ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि उक्त संकल्प के अनुरूप आवश्यक शैक्षणिक योग्यता को बिना समाहित किये हुए नियुक्ति किया जाना नियमानुकूल नही होगा।

अतएव अनुरोध है कि रूपये 4200 / – मात्र के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड पी0बी0–2 में या उससे निम्न वेतनमान या समरूप मानदेय पर सहायक प्रोग्रामर, प्रोग्रामिंग असिस्टेन्ट, टेक्नीकल असिस्टेन्ट, आई0टी0 असिस्टेन्ट, जुनियर नेटवर्क / सिस्टम इंजिनियर, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर इत्यादि पदनामों से सृजित या समतुल्य पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद द्वारा Computer Science & Engineering/Computer Application/Information Technology शाखा में प्रदत्त तीन वर्षीय डिप्लोमा को भी वांछित शैक्षणिक अर्हता के रूप में रखते हुए नियुक्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।

अनु0–यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

प्रधान सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,